न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :—श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:—98 / 2021

प्रार्थीगण::—

1. छोगाराम पुत्र रूपाराम
2. जबराराम पुत्र रूपाराम
3. मोरोदेवी पत्नी रूपाराम
   जाति पुरोहित निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. अर्जुनराम पुत्र सरदाराराम
2. कांतिलाल पुत्र उतमसिंह
3. गोतम पुत्र तेजाराम
4. चुकीदेवी पत्नी उतमसिंह
5. चन्दनाराम पुत्र भगाराम
6. जगदीश पुत्र तेजाराम
7. जबराराम पुत्र भगाराम
8. जैसाराम पुत्र सरदाराराम
9. डुंगरसिंह पुत्र लच्छाराम
10. नरपतसिंह पुत्र तेजाराम
11. भमराराम पुत्र भगाराम
12. भोमसिंह पुत्र लच्छाराम
13. नाबलिग मनोहर कुमार पुत्र तेजाराम जरिये कुदरती वली माता मोहनदेवी पत्नी तेजाराम
14. मोहनदेवी पत्नी तेजाराम
15. राजुसिंह पुत्र तेजाराम
16. रामसिंह पुत्र उतमसिंह
17. श्रवणसिंह पुत्र उतमसिंह
18. सकुदेवी पत्नी भगाराम
    जाति पुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
19. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा पादरू
20. राजस्थार राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:— प्रार्थीगण स्वंय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश दिनांक:— 22.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 1569 रकबा 15–3942 हैक्टेयर ग्राम इटवाया तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार [illegible] करते आ रहे है। उक्त खसरे की उत्तर पश्चिम सीमा से लगती विप्रार्थीगण सं. 1 से 18 की खातेदारी भूमि ख.सं. 1568 रकबा 14–6011 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थीगण सं.

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

1 से 18 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थीगण सं. 1 से 18 उक्त रास्ता को अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण 1 ता 18 के द्वारा राजीनामा मय इकबाली जवाब प्रस्तुत कर सहमति देते हुये रास्ते में प्रभावित होने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि की मांग की गई है।

प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थीगण सं. 1 से 18 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा इटवाया अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 1569 रकबा 15–3942 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 व 18 की खातेदारी भूमि ख.सं. 1568 रकबा 14–6011 की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित लम्बाई 40 गट्टा व चौडाई 5 गटटा भूमि, जो ख.सं. 1568 की उत्तर पश्चिमी सीमा की है, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 को देने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1569 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के खेत खसरा संख्या 1568 में से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र विकल्प रास्ता बताया है तथा विप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते में प्रभावित होने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि की मांग करते हुये रास्ते हेतु सहमति प्रदान की है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के खसरा संख्या 1568 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है। विप्रार्थीगण संख्या सं. 1 से 18 के रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 40 गट्टा व चौडाई 5 गटटा रकबा 0–0809 हैक्टेयर है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम इटवाया तहसील सिवाना की ख.सं. 1569 रकबा 15–3942 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 से 18 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1568 रकबा 14–6011 हैक्टेयर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 40 गट्ठा, चौड़ाई 5 गट्ठा एवं रकबा 0–0809 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में रास्ते में प्रभावित होने वाला रकबा 0.0809 के बदले प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1569 में मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा बरंग आसमानी अनुसार रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 18 को दी जावे, तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–PGKS/2023/03 दिनांक 06.05.2023 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। बैक रहन इस आदेश प्रभावित नहीं रहेगा

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:39 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नक्शा किश्तवार (मौका)
मौजा इन्द्राणा
तहसील - सिवाना
पैमाना की 1 इंच = 220 गज है।

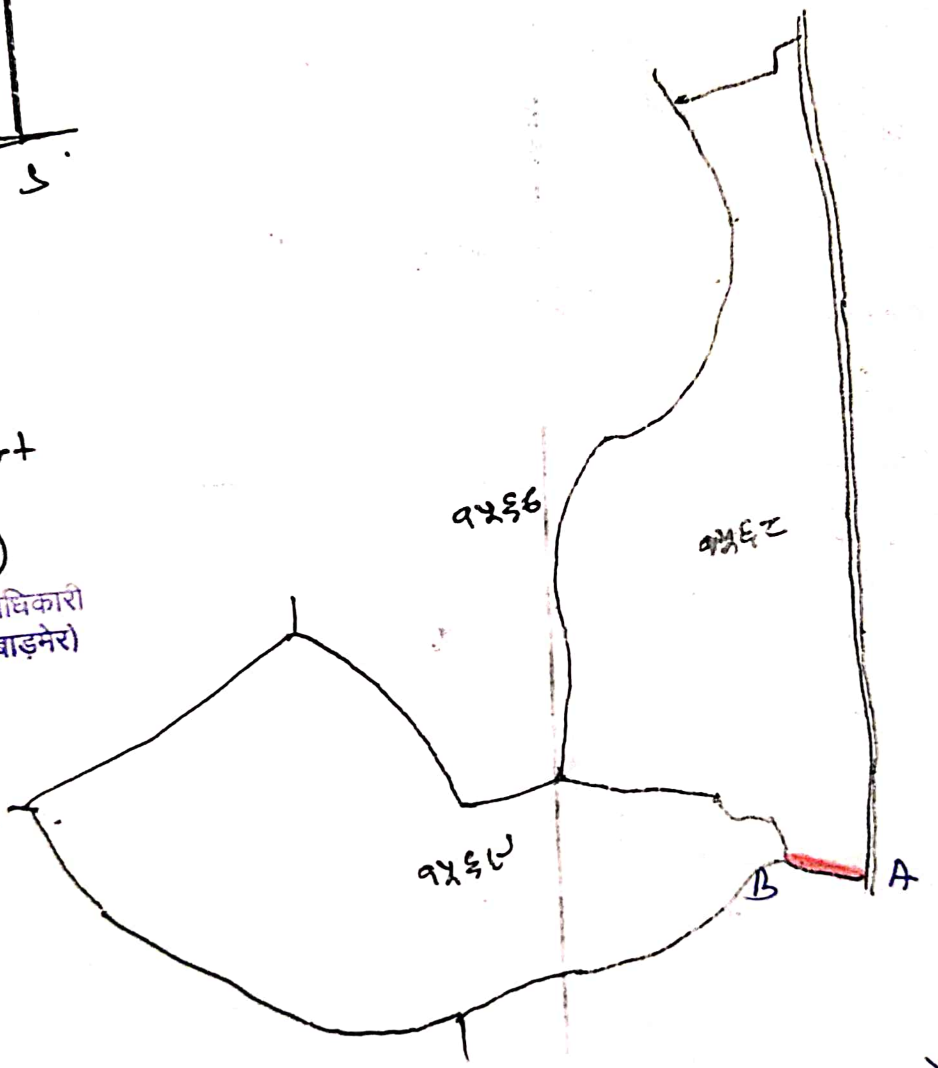

Ex-Court
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संकेत ▬ A से B रास्ता

अर्जुनसिंह
नरपतसिंह
डुंगरसिंह
खेतसिंह

3.8.2023

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा किश्तवार (स्कोशीत)
मौजा इन्द्राणा
तहसील - सिवाना
पैमाना की 1 इंच = 200 फीट।

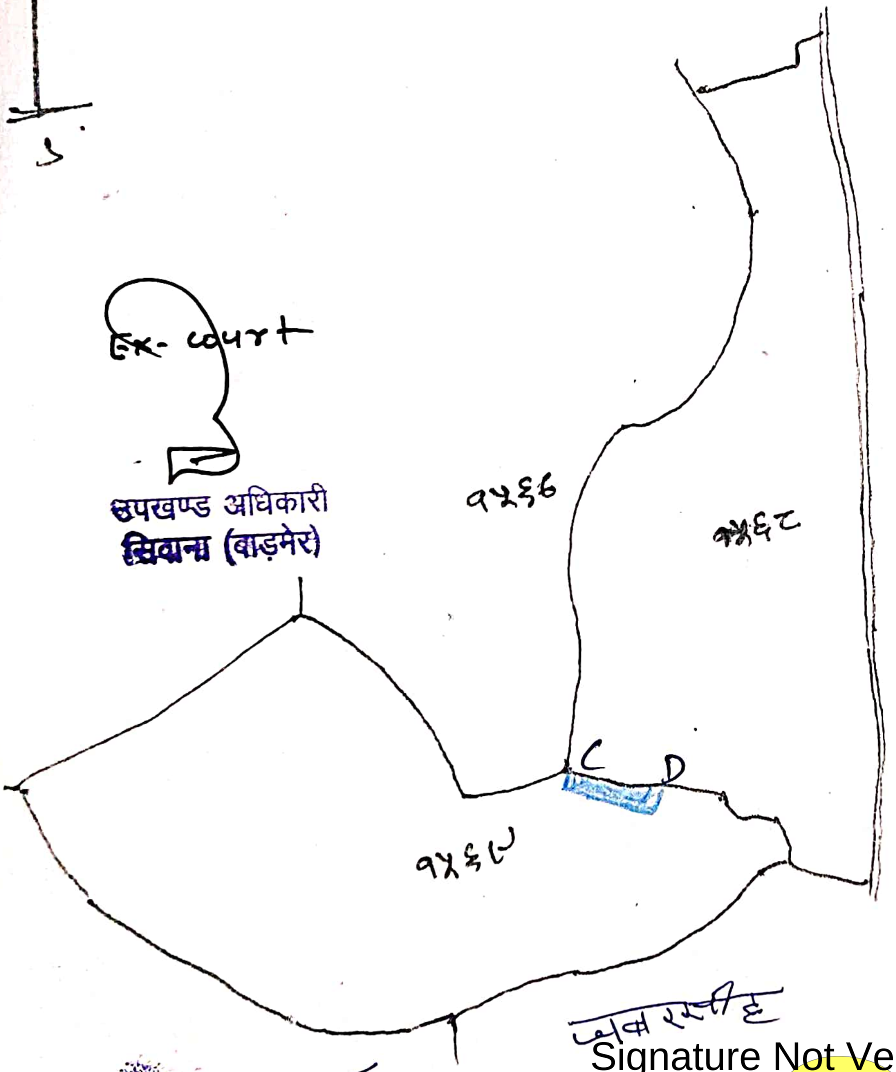

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संकेत

1 रास्ते के बदले में जाने वाली भूमि चिन्हित C से D

3-5-2023

तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested